

dk; kly; v/kh{k.k ; a-h/f/ foy%forj.k% e0i 0i f' pe {ks= fo | r forj.k d0fy0%bUnk\$-

क्रमांक/अयंसिवि/इं/कार्य/575

इन्दौर/दिनांक 17.5.2010

@@ vYi dkyhu fufonk l ipuk @@

पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में प्रचलित दि. 1.11.99 से लागू तथा अभीतक संशोधित एस0ओ0आर0, जिसमें किसी भी सामग्री की लीड देय नहीं होगी, की दरों पर आधारित प्रतिषत समतुल्य/कम/अधिक दरों पर प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपयुक्त ठेकेदारों से निम्न कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ प्रपत्र 'अ' में आमंत्रित की जाती है। समस्त एसओआर आयटम्स, बेसरेट आयटम्स के लिये एक ही प्रकार की दर एवं नान एसओआर आयटम्स के रेट अलग से दिये जावें। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों में सभी कर जैसे सर्विस टैक्स,आयकर,वाणिज्यक कर, रायल्टी,सेस इत्यादि शामिल होंगे, अलग से किसी भी प्रकार का टैक्स देय नहीं होगा।

क्रं.	निविदा स्पे0कं0	कार्य का नाम.	1. अनुमानित लागत	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य.
			2. बयाने की राशि	2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि.	2. ठेकेदार की वांछित श्रेणी.
1	2	3	4	5	6
1.	20	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर के पोलोग्राउण्ड स्थित जी.पी.एच. परिसर में नये श्रम कल्याण केन्द्र भवन का निर्माण कार्य।	1. रु. 27 लाख. 2. रु. 27000/-.	1. आठ माह. 2. 9.6.2010	1. रु. 2000/-. 2. "अ-2" तथा ऊपर.

fu; e o 'kr

- योग्य तथा मण्डल एवं ई0पी0एफ0(कर्मचारी भविष्य निधि) एवं सर्विस टैक्स हेतु पंजीकृत एवं समान प्रकृति के कार्यों के अनुभवी ठेकेदारों को ही निविदा प्रपत्र कॉलम 6 में दर्शाई हुई राशि अथवा उतने मूल्य के डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो वरिष्ठ लेखाधिकारी, म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0लि0, इन्दौर के पक्ष में देय हो, जमा करने पर, निविदा जमा करने की तिथि से एक दिन पूर्व तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समयावधि में बेचे जाएंगे। दस्तावेज डाक द्वारा मंगाने पर रु. 100/- अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धाराओं के तहत कटोत्रा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित विभाग में पंजीयन आवश्यक है।
- धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वरिष्ठ लेखाधिकारी, म0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0लि0, इन्दौर के पक्ष में देय हो, में ही स्वीकार की जावेगी। धरोहर राशि अलग लिफाफे में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होना चाहिये। बिना धरोहर राशि के अथवा धरोहर राशि उपरोक्त के अलावा अन्य रूप में होने पर निविदायें विचार योग्य नहीं होगी। निविदा जमा प्रपत्र केवल उन्हीं ठेकेदारों को प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने विगत 3 वर्षों में समान आकार एवं प्रकार के कार्य निर्धारित समयावधि में संपादित किए हों। यदि मण्डल/कम्पनी में अपंजीकृत ठेकेदारों को ठेका आबंटित होता है तो उन्हें अनुबंध

निष्पादन के समय ठेके के मूल्य के 5 प्रतिशत राशि के बराबर (प्रारंभिक धरोहर राशि एवं 4 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर राशि)जमा कराना होगी तथा पंजीकृत ठेकेदारों को भी (प्रारंभिक धरोहरराशि एवं अतिरिक्त धरोहर राशि 1 प्रतिशत) जमा कराना अनिवार्य रहेगा ।

4. पूर्ण निविदा दस्तावेज बयाने की राशि सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित दिनांक को 15.00 बजे तक लिए जाएंगे एवं उसी दिन 15.15 बजे ठेकेदारों के समक्ष या उनके अधिकृत व्यक्तियों के सम्मुख खोले जाएंगे ।
5. निविदा बेचने की अंतिम तिथि/जमा करने की तिथि को कार्यालयीन अवकाश होने की स्थिति में कार्रवाई अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर ष्की जाएगी । निविदा बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्णतः/आंशिक रूप से अमान्य/रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
6. यदि वांछित श्रेणी के ठेकेदार निविदा हेतु रुचि नहीं लेते हैं तो अनुभवी/अपंजीकृत ठेकेदार को भी निविदा जारी की जावेगी ।
7. विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु कार्य दिवस के कार्यालयीन समय में इस कार्यालय में निम्नलिखित दूरभाष क्रमांक पर संपर्क किया जा सकता है – दूरभाष क्रमांक 0731-2421781.
कंपनी की **Web site > mppkvvc1.org** पर भी देखा जा सकता है ।

^ fo| r dh cpr dhft, **

(जी0 एस0 बघेल)
अति.मुख्य अभियंता (सिविल)
म0प्र0प0क्षेवि0वि0कं0लि0:इन्दौर.